सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 78 / 2014 दर्ज दिनांकः–24.05.2014

1. मानसिंह पता– ....प्रार्थी

बनाम

2. निरोत्तम पता– ....अप्रार्थीगण

उपस्थितः

महाराजसिंह प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांकः–19.05.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत / कैम्प कोर्ट पीपला पर पेश। पटवारी हल्का पीपला की रिपोर्ट के अनुसार वाद ग्रस्त आराजी के अलावा उभयपक्षकारान का ख.नं. 1984 / 0.32 भी है जो वादी अपने दावा में लेकर नहीं आए है। वादी ने इस आराजी की बाबत वाद पत्र में न तो कोई प्रार्थना की है और न राजस्व रिकार्ड संलग्न किया है। अर्थात वादी ने इस खसरा नम्बर को छिपाया गया है। सम्पूर्ण आराजी के उभयपक्ष खातेदर कृषक हैं। वादीगण अपने दावा को क्लीन हैण्ड से लेकर अदालत में नहीं आए है। सभी पक्षकारों के सह कृषक होने के कारण ख.नं. 1984 / 0.32 को दावा में लाये बिना अन्तिम डिक्री किया जाना सम्भव नहीं होने से इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। नवीन दावा समस्त आराजी के विभाजन हेतु प्रस्तुत करने को स्वतंत्र रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर,भरतपुर

Web Copy Not Official